क्रम-संख्या--197(घ)

रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 जुलाई, 1999

आषाढ़ 24, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग-8

संख्या सी०पी० 1277/29-8-99--सी०पी० 43/89

लखनऊ, 15 जुलाई, 1999

अधिसूचना

प० आ०--590

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का संशोधन

2—उक्त प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उपनियम-5 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
3—(5) धारा 10 (2) के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य सरकार किसी जिला फोरम के ऐसे प्रधान और सदस्य को पद से हटा सकती है :—	(5) धारा 10 (2) के उपबन्धों के अतिरिक्त राज्य सरकार किसी जिला फोरम के ऐसे प्रधान और सदस्य को हटा सकती है :—
(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया जा चुका है, या	(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया जा चुका है, या
(ख) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है जिससे राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, या	(ख) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है जिससे राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, या
(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो चुका हो, या	(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो चुका हो, या
(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, या	(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, या
(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े:	(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या
परन्तु प्रधान या सदस्य को उपनियम के खंड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायेगा, सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, की गयी जांच के द्वारा और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाय।	(च) जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय और पूर्व निर्णय के अनुरूप निर्णय या आदेश पारित न करें तथा पूर्ण सत्यनिष्ठा, सदाचरण एवं कर्तव्य परायणता का परिचय न दे, या
	(छ) जो बिना अनुमति के 7 दिन तक अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति का दोषी हो:
	परन्तु प्रधान या सदस्य को इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जायगा, सिवाय राज्य सरकार द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, की गयी जांच के द्वारा और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाय।

नियम-9 का बढ़ाया जाना

3—उक्त नियमावली में, नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

9—(1) (क) जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान, जिला फोरम और राज्य आयोग के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नामित किसी सरकारी अधिकारी द्वारा की जायगी।

(ख) ऐसे अंशकालिक अध्यक्ष, जो कार्यरत जिला जज या अपर जिला जज हैं, के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उच्च न्यायालय द्वारा करायी जायगी।

(ग) राज्य आयोग के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार द्वारा नामित किसी भी उच्च न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त सुयोग्य न्यायाधीश द्वारा की जायगी।

(2) उपरोक्त जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार जिला फोरम तथा राज्य आयोग के प्रधान या सदस्य को उक्त नियमावली के यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (5) और नियम 6 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट आधार पर उनके पद से हटा सकती है।

आज्ञा से,
प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. C P 1277/XXIX-8—99-CP 43-89, dated July 15, 1999:

No. CP 1277/XXIX-8-99 CP 43 – 89

Dated Lucknow, July 15, 1999

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protections Rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1999

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Fifth Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *gazette*.

Amendment of Rule-3

2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 hereinafter referred to as the said rules in rule 3 *for* the existing sub-rule (5) set out in column 1 below the sub-rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing sub-rule	*Sub-Rule as hereby substituted*
3. (5) in addition to provisions of section 10 (2) State Government may remove from the office the President and member of a District Forum who :—	(5) in addition to provisions of section 10(2), State Government may remove from the office the president and member of a District Forum who :—
(a) has been adjudged an insolvent, or	(a) has been adjudged an insolvent, or
(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude, or	(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude, or
(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member, or	(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member, or
(d) has acquired such financial or other interest as it likely to affect prejudicially his functions as a member, or	(d) has acquired such financial or other interest as it likely to affect prejudicially his functions as a member, or
(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:	(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, or
Provided that the president or member shall not be removed from his office on the ground specified in clauses (d) and (e) of the sub-rule (5) except on an inquiry held dy State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and office the member is found to be guilty of such ground.	(f) does not pass judgement or order possible under Act, and in conformity with the earlier judgement and the act and does not display absolute, integrity good conduct and dutifulness.
	(g) is guilty of an explained absence upto 7 days without permissions:
	Provided that the President or member shall not be removed from his office on the ground specified in clauses (d) and (e) of this sub-rules except on an inquiry held by State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and the member is found to be guilty of such ground.

In sertion of rule-9

3. In the said rules, *after* rule 8 the following rule shall be *inserted*, namely :—

9. (1) (*a*) on complaint received against the full time President, member of Districts Forum and the State Commission, an enquiry shall be held by Principal Secretary or Secretary as the case may be to Government of Uttar Pradesh Food and Civil Supplies Department or by an officer of Government nominated by him.

(*b*) On complaint received against such Part time President who are working District Judge or Additional District Judge inquiry shall be held by the High Court.

(*c*) The complaints received against the President of the State Commission shall be inquired into by any retired Chief Justice of any High Court nominated by the State Government.

(2) On being found guilty on the basis of the findings of the aforesaid inquiry the State Government may remove the President or member of the District Forum and the State Commission from their office on grounds specified in sub-rule (5) of the rule 3 and sub-rule (5) of the rule 6 as the case may be of the said Rules.

[By order,
PRABHAT CHANDRA CHATURVEDI,
Sachiv.

बी० एस० यू० पी०--ए० पी० 6 खाद्य तथा रसद—(1458)--1999--1500 (मेक०)।